# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 28 / 2024 GCMS No.—2024/121

पांचूराम रैगर पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी ग्राम पोस्ट खरकडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत खरकडा पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर जरिये सरपंच।
2. सोहनलाल पुत्र नारायण रैगर जाति रैगर, निवासी ग्राम पोस्ट खरकडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज.।

.....विपक्षीगण

---

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत खरकडा पंचायत समिति जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर द्वारा जारी पट्टा संख्या 8 दिनांक 05.01.1989 मिसल संख्या 5 तारीख दायर 05.08.1988 जो कि अवैध तरीके से / नियम विरूद्ध अप्रार्थी / गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में बिना विधिक प्रकिया व कानून के बाहर जाकर किया गया।

1. श्री प्रकाश चन्द भारती अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री रमेश कुमार जाजोरिया अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 24.11.2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत खरकडा, पंचायत समिति जमवारामगढ के मिसल संख्या 5 आदेश दिनांक 05.01.1989 की पालना में से गैर निगरानीकार संख्या 2 सोहनलाल पुत्र नारायण रैगर जाति रैगर निवासी ग्राम पोस्ट खरकडा, पंचायत समिति जमवारामगढ के पक्ष में पट्टा संख्या 8 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 30.04.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर कोई उपस्थित नहीं आया। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार जाजोरिया उपस्थित आये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम पंचायत में पट्टा पत्रावली अनुपलब्ध है। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अभिभाषकउभय पक्ष सुनी गई।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम खरकडा, तहसील जमवारामगढ में विधि विरूद्ध जाकर गैर निगरानीकार संख्या 2 के नाम पट्टा जारी किया गया इस प्रकार गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियमों की अवहेलना करते हुए निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टे की किस्म गै0मु0खारडा थी इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी कर दिया गया एवं गैर निगरानीकार संख्या 2 निगरानीधीन पट्टे की आड में आम रास्ते को अवरूद्ध करते है जिससे आम जन को परेशानी का सामना

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

करना पड रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर 1170 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टे की पत्रावली भी ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट है कि निगरानीधीन पट्टा अवैध है। गैर निगरानीकार संख्या 2 के विरूद्ध तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत कार्यवाही भी की गयी है एवं न्यायालय तहसीलदार जमवावरामगढ द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के विरूद्ध दिनांक 04.03.1997 को बेदखली के आदेश पारित किये है। ग्राम पंचायत को 1170 वर्गगज क्षेत्रफल का पट्टा जारी किये जाने का कोई हक अधिकार नहीं था। जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश की पालना में खसरा नंबर 10 की भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 113 दिनांक 09.01.2023 द्वारा आबादी हुयी है। जिससे स्पष्ट है कि पट्टा आवंटन के समय निगरानीधीन पट्टे की भूमि गै.मु.खारडा थी जिसके संबंध में ग्राम पंचायत को पट्टा जारी किये जाने का क्षेत्राधिकार नहीं था। निगरानीधीन पट्टे के संबंध में कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा नहीं लिया गया है इसलिए निगरानीधीन पट्टा खारिज किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार जाकर ग्राम पंचायत खरकडा पंचायत समिति जमवारामगढ के मिसल संख्या 5 दायर दिनांक 05.07.1988 के तहत आदेश दिनांक 05.01.1989 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में जारी पट्टा निरस्त किया जावे।

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है। विवादित भूमि से निगरानीकार का कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में गैर निगरानीकार संख्या 2 निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर अपने पूर्वजो के समय से आवासीय मकानात, शौचालय बनाकर जिसमें नल, बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है। निगरानीकार द्वारा गैर निगरानीकार को परेशान करने के उद्धेश्य से पट्टा जारी किये जाने के इतने वर्षो बाद निगरानी पेश की गयी है। निगरानीधीन पट्टे की भूमि वर्तमान में गै0मु0आबादी है एवं ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में ही पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के विक्रय नियम 266 अर्न्तगत पंचायत राज अधिनियम 1961 के तहत निर्धारित शुल्क लेकर पट्टा जारी किया है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। ग्राम पंचायत खरकडा द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में आदेश दिनांक 05.01.1989 अर्न्तगत पंचायत राज अधिनियम 1961 आबादी भूमि विक्रय नियम 266 के द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत में निगरानीधीन पट्टा पत्रावली अनुपलब्ध है इसलिए प्रकरण का निस्तारण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं गुणावगुण के आधार पर किया

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

जाना उचित समझते है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की मुख्य दलील है कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि पट्टा जारी किये जाने के समय गै0मु0खारडा थी एवं गै0मु0खारडा की भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि ग्राम खरकडा, तहसील जमवारामगढ स्थित खसरा नंबर 10 रकबा 0.90 हैक्टेयर में स्थित है। खसरा नंबर 10 वाके ग्राम खरकडा स्थित भूमि का जिला कलक्टर जयपुर के आदेश कमांक आर–1(26)/2022 /आबादी/जमवारामगढ/8086 दिनांक 25.11.2022 द्वारा सार्वजनिक आबादी विस्तार हेतु पृथक (सेट अपार्ट) किया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का खरकडा की मौका रिपोर्ट दिनांक 04.09.2025 के अवलोकन से जाहिर है कि गैर निगरानीकार संख्या 2 का मकान खसरा नंबर 4 मोहनलाल पुत्र भगवान सहाय खातेदार जमाबंदी संवत 2076 वाके ग्राम खरकडा में बना हुआ है। विचाराधीन प्रकरण में ग्राम पंचायत से प्राप्त जवाब दिनांक 01.09.2025 अनुसार गैर निगरानीकार संख्या 2 को जारी निगरानीधीन पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड अनुपलब्ध है एवं कार्यवाही रजिस्टरो में निगरानीधीन पट्टे से संबंधित कोई मिलान नहीं हुआ। गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में 1170 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है एवं उक्त पट्टे के संबंध में पंचायत राज अधिनियम 1961 की धारा 266 के तहत विक्रय संबंधी कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है एवं अधिवक्ता गैर निगरानीकार द्वारा भी पट्टे की वैधता के संबंध में कोई सुसंगत दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किये गये है तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार भी गैर निगरानीकार संख्या 2 के मकानात भी मोहनलाल पुत्र भगवान सहाय की खातेदारी कृषि भूमि में बने हुये है। इसलिए उक्त तथ्यों के मद्देनजर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खरकडा, पंचायत समिति जमवारामगढ के मिसल संख्या 5 दायर दिनांक 05.08.1988 के तहत आदेश दिनांक 05.01.1989 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 सोहनलाल पुत्र नारायण जाति रैगर निवासी ग्राम खरकडा, तहसील जमवारामगढ के हक में जारी पट्टा संख्या 8 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत, खरकडा, पं.स. जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित ( **Remand** ) की जाती है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के तहत निगरानीधीन पट्टे की भूमि के संबंध में विधिसम्मत निर्णय लेवें। निर्णय की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर